Need to permit representatives nominated by the Members of Parliament in meeting of local bodies pertaining to implementation of development schemes ? laid

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शहरी विकास और आवासन मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय सदैव प्रयासरत हैं एवं अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद एवं नगर निगम की बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पदेन सदस्य के रूप में माननीय सांसद एवं विधायक भी सम्मिलित होते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 एवं नगर विकास अधिनियम/नियमावली के अनुसार उपर्युक्त बैठकों में भाग लेने के लिए माननीय सांसद अपने प्रतिनिधि को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। एक सांसद के रूप में लगभग हमारे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत 202 ग्राम पंचायत, 2 नगर परिषद, 5 नगर पंचायत और 1 नगर निगम आते हैं। संसदीय कार्यों की व्यस्तता के कारण इन सभी महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेना संभव नहीं हो पाता है। कभी-कभी तो संसद के प्रस्तावित सत्रों के कार्य दिवस पर बैठक आहूत की जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिहार सरकार संवाद कर उपर्युक्त अधिनियम/नियमावली में संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव लाए, और सांसदों द्वारा मनोनीत सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जाए।